

छात्र- छात्राओं के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं

क्रम. स.	योजना का नाम	प्रारम्भ होने का वर्ष	लाभान्वित वर्ग	पात्रता	आवेदन कहाँ किया जाए	सम्पर्क सूत्र
1	विद्या वारिदी स्कॉलर शिप योजना	2008-09	अभियांत्रिक महाविद्यालय, एम.बी.ए., एम सी ए में अध्ययनरत छात्र	अभिभावको की वार्षिक आय 1लाख रु से अधिक नहीं होनी चाहिए। एवं एंट्रेस टेस्ट में सम्मिलित होना आवश्यक है।	निदेशक तकनीकी शिक्षा प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर	निदेशक (तकनीकी शिक्षा) प्राविधिक शिक्षा निदेशालय जोधपुर
2	शिशु गृह योजना	1971	5 वर्ष तक के अनाथ व परित्यक्त शिशु	राज्य में परित्यक्त एवं अनाथ शिशुओं को बाल कल्याण समिति के माध्यम से संस्था में रखा जाता है	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	अधीक्षक शिशु गृह गांधी नगर जयपुर
3	छात्रावास योजना	1952 -53	अनुसूचित जाति व जन जाति अन्य पिछडा वर्ग एवं स्वच्छ कार वर्ग के विद्यार्थी	<ul style="list-style-type: none"> परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रु से अधिक न हो छात्र अनुसूचित जाति जनजाति व स्वच्छकार वर्ग का होना चाहिए। छात्रावास में कक्षा 6 से 12 तक के छात्र प्रवेश ले सकते है। मेरिट के आधार पर नियमित विद्यार्थी ही प्रवेश के हकदार है। 	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग
4	उत्तर मेरिट छात्रवृत्ति योजना	1981से 2003-04	अनुसूचित जाति व जन जाति अन्य पिछडा वर्ग के विद्यार्थी	<ul style="list-style-type: none"> छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछडे वर्ग का हो अभिभावको की वार्षिक आय पिछडा वर्ग के लिए 44500 रु हो। छात्र किसी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्था में उत्तर मेट्रिक शिक्षा में अध्ययनरत हो 	राजकीय महाविद्यालय में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के कार्यालय में स्वयं के जिले के जिला अधिारी ,सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग कार्यालय में	जिला कार्यालय समाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग

5	आवासीय विद्यालय योजना	1997 –98	अनुसूचित जाति व जन जाति तथा पशुपालको के बच्चे	<ul style="list-style-type: none"> • अनुसूचित जनजाति वर्ग आवासीय विद्यालय में 80 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति के लिए 12 प्रतिशत जनजाति व 8 प्रतिशत पिछडा वर्ग के लिए है। • 50 प्रतिशत स्थानीय जिले के छात्र छात्राओं के लिए आरक्षित हैं। • एस.सी., एस.टी व ओ.बी.सी. के प्रतिभाशाली छात्रो को लिखित परीक्षा का आयोजन कर मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जायेगा। 	संबंधित आवासीय विद्यालय	संबंधित आवासीय विद्यालय
6	निःशक्त छात्रवृत्ति योजना	1981	निःशक्त विद्यार्थीगण	<ul style="list-style-type: none"> • छात्र / छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त संस्था में अध्ययनरत हो तथा संरक्षक की वार्षिक आय 40000रु से अधिक न हो • छात्र / छात्रा को पूर्व में किसी भी संस्था से छात्रवृत्ति भत्ता नहीं मिला हो तथा गत वर्ष की कक्षा में उत्तीर्ण हो • चिकित्साबोर्ड द्वारा अधिकृत 40 प्रतिशत निःशक्तता का प्रमाणपत्र हो। • प्रार्थी राजस्थान का मूल निवासी हो। 	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में
7	विस्वास योजना	2004–05	विकलांग वर्ग	जिन परिवारो में एक से अधिक विकलांग है। जिनकी वार्षिक आय 1.20 लाख रु से अधिक नहीं है।	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी

8	आस्था योजना	2004-05	वे परिवार जिनमें दो या अधिक विकलांग व्यक्ति हैं।	कक्षा 6 से 8 तक अध्ययनरत छात्र	संबंधित जिले का जिला अधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में	उप आयुक्त / सहायक आयुक्त सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग का जिला अधिकारी
9	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जाति के बच्चों हेतु	1984	अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र	राजस्थान का मूल निवासी हो मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्याग्य प्रमाण पत्र हो प्रार्थी किसी रोजगार में लगा हुआ हो। परिवार सहित समस्त स्र्नातो से मासिक आय 1500 रु से अधिक न हो।	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
10	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अस्वच्छ कार्य में लगे लोगो के बच्चो हेतु	1994 संशोधन 2003	अस्वच्छ कार्य में लगे लोगो के बच्चो हेतु जो कक्षा 1से 8 तक अध्ययन कर रहे हैं।	कक्षा 6 से 8 तक के छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
11	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्रों हेतु	1984	सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित अन्य पिछडे वर्ग के छात्र	कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
12	पूर्व मेट्रिक छात्रवृत्ति अनुसूचित जनजाति के बच्चों हेतु	1984	अनुसूचित जनजाति के छात्र	कक्षा 6 से 8 तक के अध्ययनरत छात्र	संस्था प्रधान को	संस्था प्रधान
13	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल	2005	समस्त वर्ग	<ul style="list-style-type: none"> माध्यमिक पाठ्यक्रम प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 14 वर्ष न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी पास उच्च माध्यमिक के लिए 15 वर्ष व मेट्रिक / माध्यमिक हाईस्कूल प्रमाण पत्र होना आवश्यक है। 	राजस्थान स्टेट ओपन स्कूल जयपुर द्वारा निर्धारित 326 संदर्भ केन्द्रों पर	फोन नं 0141 2705067

14	कस्तूरबा गॉधी आवासीय बालिका विद्यालय	2005-06	विद्यालय से वंचित एस सी एस टी अल्प संख्यक वर्ग एवं बी पी एल वर्ग की बालिकाएँ	ब्रिज कोर्स कक्षा 8 उत्तीर्ण व ड्राप आउट बालिकाएं	जिला परियोजना समन्वयक बीआर सी एफ कार्यालय	राजस्थान प्रारंभिक शिक्षा परिषद जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान में समस्त जिले। सीकर झुंझुनु को छोड़कर
15	कम्प्यूटर एडेड लर्निंग कार्यक्रम	2004-05	कक्षा 6से 8 तक के चिन्हित विद्यालयों के विद्यार्थी	कक्षा 6 से 8 तक के चिन्हित विद्यालयों के विद्यार्थी	जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान कार्यालय में समस्त जिले।	जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान
16	पन्नाधाय जीवन अमृत योजना	2006	बी पी एल परिवारो के कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत दो आश्रित पुत्र पुत्रियाँ	छात्र /छात्रा बी पी एल परिवार का हो कक्षा 9से 12 में अध्ययनरत हो।	विद्यालय के संस्था प्रधान को	संस्थाप्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक ग्राम पंचायत नगरीय निकाय ,नगरपालिका ,नगर परिषद ,नगर निगम
17	प्री कारगिल युद्ध अर्थात 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिको के आश्रितों को छात्रवृति	2004-05	प्री कारगिल युद्ध अर्थात 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिको के कक्षा 1से 12 तक अध्ययन रत आश्रित	प्री कारगिल युद्ध अर्थात 99 से पूर्व अन्य इमरजेन्सी में शहीद हुये स्थाई विकलांग सैनिको के कक्षा 1से 12 तक अध्ययनरत आश्रित	विद्यालय के संस्था प्रधान को	संस्थाप्रधान / जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक सैनिक कल्याण अधिकारी
18	पूर्व मेंट्रिक अन्य पिछडी जाति के बच्चों हेतु छात्रवृति	2004-05	अन्य पिछडा वर्ग कक्षा 6से 10 तक के छात्र छात्राएँ	पिछडा वर्ग के कक्षा 6से 10 तक अध्ययनरत छात्र	विद्यालय के संस्था प्रधान को	विद्यालय के संस्था प्रधान को
19	अनुसूचित जाति जनजाति प्रतिभा विकास कार्यक्रम	1987-88	अनुसूचित जाति जनजाति के छात्र	कक्षा 8 की मेरिट के आधार पर तथा छात्र एस.टी., एस.सी. का हो।	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक

21	ग्रामीण क्षेत्र की बालिकाओं के लिए ट्रांसपोर्ट वाउचर की योजना	2007-08	ग्रामीण क्षेत्र में निवास करने वाली राजकीय / माध्यमिक / उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालिकाएं जिनका विद्यालय उनके निवास स्थान से दूर होने के कारण आना जाना पड़ता है।	ग्रामीण क्षेत्र की राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत छात्राएं जिनका विद्यालय निवास स्थान से दूर होने के कारण जाना आना पड़ता है।	विद्यालय के संस्था प्रधान को	विद्यालय के संस्थाप्रधान का एवं सचिव विद्यालय विकास समिति
22	विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजना	1996	राजकीय / माध्यमिक / माध्यमिक विद्यालयों की कक्षा 9 से 12 तक अध्ययनरत बालक बालिकाएं	राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हो तथा छात्राओं का बीमा प्रीमियम जमा हो	विद्यालय के संस्था प्रधान के द्वारा राज्य बीमा विभाग के जिला स्तरीय अधिकारी के कार्यालय में।	विद्यालय के संस्थाप्रधान को
23	ग्रामीण बालिकाओं को साईकिल वितरण योजना	2007-08	ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी बालिकाएं जिनका विद्यालय उनके निवास स्थान से 2 से 5 किमी दूर है।	<ul style="list-style-type: none"> ● बालिका ग्रामीण क्षेत्र में स्थाई रूप से निवास करती हो। ● विद्यालय 2 से 5 किमी दूर हो तथा राजकीय विद्यालय में 10वीं में अध्ययनरत हो। 	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान	संबंधित विद्यालय के संस्था प्रधान / सचिव विद्यालय विकास समिति
24	राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र / छात्राओं का नियमित रूप से अध्ययनरत रहकर आई आई टी, ए आई आई एम में प्रवेश प्राप्त करने पर विद्यालय को देय 1 लाख रु	2008-09	विद्यालय एवं दो शिक्षक (सामुहिक)	राज्य के सभी राजकीय माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्र / छात्राएं जो नियमित रूप से अध्ययन रत रहकर आई.आई.टी. / ए.आई.आई.एम.एस. में प्रवेश प्राप्त किया हो।	संगंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य	निदेशक माध्यमिक शिक्षा राज 0 बीकानेर

25	बाल गणेश चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना	2008-09	राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1से 12 में अध्ययनरत छात्र	जिला मुख्यालय पर 1से 12 तक के विद्यार्थी	विद्यालय के संस्था प्रधान को	विद्यालय के संस्था प्रधान को
26	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार	2005-06	शारीरिक रूप से विकलांग मूक बधिर ,नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9 से 12 में अध्ययनरत है।	शारीरिक रूप से विकलांग मूक बधिर ,नेत्रहीन बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9से 12 में अध्ययनरत है।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
27	गार्गी पुरस्कार जुनियर	1998	कक्षा 8 में पंचायत समिति व जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं आगे कक्षा 9 व 10 में अध्ययन रत हो	कक्षा 8 में पंचायत समिति व जिला मुख्यालय पर सर्वाधिक अंक प्राप्त करने वाली छात्राएं आगे कक्षा 9 व 10 में अध्ययन रत हो	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा	जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन
28	आपकी बेटी योजना	2004-05	कक्षा 1से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो बी पी एल परिवार की हो जिनके माता पिता का निधन हो गया हो ।	कक्षा 1 से 12 में अध्ययनरत प्रथम वरीयता में आने वाली बालिकाएं जो बी.पी.एल. परिवार की हो जिनके माता पिता का निधन हो गया हो ।	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा	संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी प्रारम्भिक /माध्यमिक शिक्षा
29	वीणा पाणि योजना	2008-09	राजकीय विद्यालय में कक्षा 1से 8 तक आगामी वर्षों में निःशुल्क बेग कक्षा 1 व कक्षा 6 में प्रवेश लेने पर ही देय होगा	राजकीय विद्यालय में कक्षा 1से 8 तक में अध्ययनरत होना, जिन्हे निःशुल्क पाठ्य पुस्तके उपलब्ध करवाई जा रही है।	0	ताला प्रधान

30	समावेशित शिक्षा	2001	6-14 वर्ष के विशेष आवश्यकता वाले बच्चे	निःशुल्क अंग व उपकरण वितरण मेडिकल बोर्ड द्वारा निःशक्तता के आधार पर रैम्प निर्माण राजकीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालय होम बेस्टेड एजुकेशन चिन्हित गम्भीर दोष युक्त बच्चे	0	नजदीकी राजकीय विद्यालय / सी.आर.सी. एफ / जिला परियोजना समन्वयक सर्व शिक्षा अभियान
31	विमंदिता बालक व महिला गृह	1985	विमंदिता बालक व महिला	विमंदिता महिला गृह में निराश्रित व विमंदिता बालकों महिलाओं को न्यायलय ,पुलिस, सामाजिक कार्यकर्ता, सामाजिक सेवा के क्षेत्र में कार्यरत स्वयंसेवी संस्था से सीनांतरित कर रखा जाता है।	अधीक्षक एवं प्राचार्य ,विमंदिता महिला एवं बाल गृह मनोचिकित्सालय परिसर जयपुर	अधीक्षक एवं प्राचार्य ,विमंदिता महिला एवं बाल गृह मनोचिकित्सालय परिसर जयपुर
32	बालिका गृह योजना	1971	अनाथ एवं अपचारी बालिकाएं	जिन बालिकाओं के माता पिता संरक्षक अभिभावक नहीं है। उन्हे किशोर न्याय अधिनियम 2000 की धाराओं के अन्तर्गत बालकल्याण समिति की स्वीकृति से प्रवेश दिया जाता है।	अधीक्षक ,शिशु गृह गाँधी नगर / जिला बालक अधिकारी / मुख्य बालक अधिकारी जयपुर	अधीक्षिका बालिका गृह गाँधीनगर जयपुर
33	निःशुल्क पाठ्य पुस्तक वितरण योजना	1994-95	कक्षा 1से 8 तक के राजकीय विद्यालय के छात्र / छात्राएं	कक्षा 1से 8 तक के राजकीय विद्यालय के छात्र / छात्राएं	संस्था प्रधान	संस्था प्रधान
34	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाओं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार	2005-06	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9से 12 में नियमित अध्ययनरत है।	शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं जो राजकीय विद्यालयों में कक्षा 9से 12 में नियमित अध्ययनरत है।	संस्था प्रधान के मध्यम से जिला अधिकारी को	जला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक शिक्षा उप सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन

35	प्रतिष्ठित संस्थाओं में प्रवेश हेतु कक्षा 5 वी पास छात्र / छात्राओं को कोचिंग	2008-09	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं	5वीं पास जनजाति छात्राएं	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
36	आश्रम छात्रावासों में निःशुल्क कोचिंग	1995-96	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं	छात्रावासों में आवासरत बोर्ड कक्षा के छात्र / छात्राओं को विशेष कोचिंग कराई जाती है।	आवश्यकता नहीं	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग
37	आश्रम छात्रावासों में अध्ययनरत कक्षा 9से 12तक के जनजाति छात्र / छात्राओं को कम्प्युटर शिक्षा पुर्नभरण योजना	2006-07	जनजाति क्षेत्र की छात्र / छात्राएं	जनजाति उपयोजना क्षेत्र के मूल निवासी हो संचालित आश्रमों में रहकर कम्प्युटर शिक्षा ले रहा हो अनुत्तीर्ण छात्रों को यह लाभ देय नहीं होगा जिनके अभिभावक आयकर दाता है उनको यह लाभ देय नहीं होगा कक्षा 9व 10 में अनिवार्य रूप से संचालित है उन्हे 11 व 12 वीं कक्षा में ऐच्छिक विषय लेकर अध्ययनरत जनजाति छात्र को स्वीकृति प्राप्त होने पर नियमानुसार फीस राशि का भुगतान किया जाना है।	छात्रावास के गृह पति को व विद्यालय प्रधान को	परियोजना अधिकारी उप परियोजना अधिकारी उदयपुर डूंगरपुर बांसवाडा / प्रतापगढ जनजाति क्षेत्रिय विकास विभाग

38	आश्रम छात्रावासों का संचालन	1977-78	जनजाति क्षेत्र की जनजाति छात्र / छात्राएं	अनुसूचित क्षेत्र के ऐसे छात्र जिनके निवास से 1.5किमी तथा 3कि.मी तथा 5कि.मी तक कोई प्राथमिक उच्च प्राथमिक माध्यमिक ,उच्च माध्यमिक विद्यालय न हो । माता पिता व अभिभावक आयकरदाता न हो कृषि भूमि 15 बीघा से अधिक न हो छात्र उसी जिले का निवासी हो जिस जिले के लिए आवेदन किया है। मेरिट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा ।	संबंधित परियोजना /उप परियोजना अधिकारी	संबंधित परियोजना /उप परियोजना अधिकारी
39	राजस्थान कोड पीडित /विकलांग माता पिता के बच्चों को दी जाने वाली विशेष विकलांग छात्रवृत्ति योजना	1997-98	कोड पीडित /विकलांग माता पिता के बच्चे	माता पिता दोनो कोड पीडित हो। माता पिता दोनो मे से किसी एक की मृत्यु हो गई हो। व 80 प्रतिशत विकलांग हो। विद्यार्थी मान्यता प्राप्त स्कूल व महाविद्यालय में नियमित रूप से अध्ययनरत हो उसके माता पिता की वार्षिक आय 40 हजार रु से अधिक न हो। पहले किसी प्रकार का भत्ता नहीं मिल रहा हो। छात्र अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हों पिछली कक्षा उत्तीर्ण की हो।		
40	सम्प्रेक्षण गृह /अपचारी गृह	1971-72	विधि से संघर्षरत 6से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाएं	विधि से संघर्ष रत 6से 18 वर्ष तक के बालक बालिकाएं	जिला कार्यालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग	जिला कार्यालय सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग
41	निष्क्रमणीय पशुपालक के बच्चों हेतु आवासीय विद्यालय योजना	2008-09	निष्क्रमणीय पशुपालक के बच्चों	राजस्थान का निष्क्रमणीय पशुपालक जिनके भेड़ो व बकरियों की संख्या 100 से अधिक हों प्रवेश से पूर्व की कक्षा राजकीय विद्यालय से पास की हो		

42	बालिका समृद्धि योजना	1997	बी.पी.एल. परिवार की 2 बालिकाएं	बालिका	पंचायत समिति	विकास अधिकारी व अधिशासी अधिकारी
43	किशोरी शक्ति योजना	2000	11 से 18 वर्ष की किशोर बालिकाएं	11से 18 वर्ष की किशोर बालिकाएं जो स्कूल नहीं जाती	परियोजना निदेशक ,	परियोजना निदेशक ,
44	मिड डे मील कार्यक्रम	2001-02	राजकीय व अनुदानित स्थानीय निकाय द्वारा संचालित विद्यालय	कक्षा 1से 8 के सभी छात्र छात्राएं	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक	संबंधित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक
45	नियमित टीकाकरण कार्यक्रम	1985	गर्भवती महिलाएं 0 से 1वर्ष के शिशु व 1 से 6 वर्ष तक के बच्चे	गर्भवती महिला एवं शिशु	स्वास्थ्य केन्द्रों	चिकित्सा अधिकारी ए एन एम व एल एच पी तथा आशा सहायगानि
46	तहसील स्तर पर छात्र/ छात्राओं को विशेष कोचिंग	2007-08	बी पी एल जनजाति के लोग	अनुसूचित क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा 10 व 12 में अध्ययनरत जनजाति छात्र/छात्राएं	परियोजना व उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास ,संस्था प्रधान	परियोजना व उप परियोजना अधिकारी जनजाति क्षेत्रीय विकास ,संस्था प्रधान